न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 67/18 GCMS NO 2018/00213

गोविन्द पि.मु.बृजलाल जाति मीना निवासी कुआगांव तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास
2. सहकारी भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 74/17 निर्णय दिनांक 27.3.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 15.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.3.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास मे स्थित है। जिसके हाल ख0न0 163 रकबा 1.09 है0 बना है। जबकि साबिक रकबा 4 बीघा 19 विस्वा की मैट्रिक सिस्टम मे 1.24 है0 भूमि बनती है। जिसका प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी को साबिक रकबे के मुकाबले 15 ऐयर भूमि कम दी गई है। कम 15 ऐयर भूमि को आराजी ख0न0 73 रकबा 0.13 है0 , 74 रकबा 0.12 है0, 162 रकबा 0.27 है0 को चारागाह मे दर्ज कर दिया गया है जिसमे प्रार्थी की भूमि को मिला दिया गया है। प्रार्थी की भूमि जो हाल ख0न0 73,74,162 मे मिलाकर चारागाह दर्ज किया गया है जो प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी की जो 15 ऐयर भूमि कम मिली है उसे चारागाह की भूमि मे मिला रखा है। जिससे ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर उक्त भूमि से रास्ता बनाना चाहती है। जबकि उक्त भूमि मे होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की भूमि मे से रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। परन्तु वह जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अर्ज है कि गैरसायलान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की भूमि आराजी ख0न0 163 रकबा 1.24 है0 मे जो 15 ऐयर भूमि ख0न0 73,74 व 162 मे मिली हुई है उसमे किसी प्रकार का कोई रास्ता का निर्माण नही करावे तथा प्रार्थी को उक्त भूमि मे कब्जे काश्त मे एवं उपयोग उपभोग मे मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आशय का स्वीकार किया गया कि आराजी ख0न0 73,74 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

162 मे से 15 ऐयर भूमि मे किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण कार्य नही करावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि उक्त ख0नम्बरान मे से 15 ऐयर भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि से प्रार्थी का अतिक्रमण हटाया जावे तथा मूल वाद मे यदि प्रार्थी/अपीलांट 15 ऐयर भूमि पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करने मे असफल रहता है तो यह भूमि उसके स्वामित्व से वापिस प्राप्त कर जी जावे। तथा प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित 15 ऐयर भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इस प्रकार के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि सम्वत 2008 के अपीलार्थी के रकबे की एवज मे भूमि एकीकरण मे कई नम्बरो मे से भूमि एकीकरण विभाग वालो ने दी थी जिसमे चारागाह का रकबा भी अपीलार्थी की खातेदारी मे दिया था जिसकी किस्म भी अपीलार्थी की खातेदारी मे दर्ज होने के बाद भी चारागाह दर्ज रखी है उसकी का फायदा उठाकर सेटलमेंट विभाग वालो ने अपीलार्थी की 15 ऐयर भूमि को चारागाह मे दर्ज कर दिया तथा तहसीलदार बामनवास सेटलमेंट की उक्त गलती पर ही अपीलार्थी को उसकी खातेदारी से बेदखल करने पर आमादा है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने आर आर डी 1994 मे अपने मत मे यह स्पष्ट किया है कि भूमि पूर्व मे खातेदारी मे थी लेकिन सेटलमेट ने उसे चारागाह मे दर्ज कर दिया है तो ऐसी स्थिति मे लैण्ड होल्डर खातेदार को बेदखल नही कर सकता है। तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा लैण्ड होल्डर के खिलाफ स्थगन जारी किया है। अपीलांट वृद्व व्यक्ति है। वकील द्वारा समय पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही दी गई। अपीलांट का स्वास्थ्य ठीक होने पर वकील के पास जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.3.18 को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि ख0न0 73,74,162 मे स्थित अपीलार्थी की भूमि 0.15 है0 जो सेटलमेंट ने गलती से चारागाह मे दर्ज की है उसमे से अपीलार्थी को बेदखल नही करे, इसके बाबत रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि साबिक ख0न0 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा मे से 3 बीघा 10 विस्वा भूमि चारागाह की भूमि शामिल है। जो प्रारंभ से ही चारागाह के काम आती रही है। इस चारागाह की भूमि [illegible] प्रार्थी/अपीलांट के हक मे एकीकरण के समय गलत अंकित हो गया। उक्त [illegible] ख0न0 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा मे प्रार्थी की खातेदारी की तो मात्र 1 बीघा [illegible] जो जमाबंदी सम्वत 2019 से स्पष्ट है। जिसमे अनुसार प्रार्थी/अपीलांट को 35 ऐयर भूमि ही मिलनी चाहिए थी और इस 35 ऐयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमि पर ही प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा है। शेष भूमि चारागाह है और चारागाह के काम आती है। चारागाह की भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती है। चारागाह की भूमि का इन्द्राज खातेदारी किसी भी व्यक्ति को नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट के हक मे दर्ज की गई 1.09 है0 मे से 4 ऐयर भूमि कम की जाकर चारागाह मे दर्ज किये जाने योग्य है। अपीलांट अतिक्रमण करने का आदि है। जिसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की जाकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित भी किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चाही गई रिलीफ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अब अपील पेश करने का कोई औचित्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चाही गई 15 ऐयर भूमि के अलावा शेष भूमि चारागाह से अतिक्रमण हटाने के निर्देश विधि के प्रावधानो के तहत ही दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एकीकरण सन 2018 ख0न0 69 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा जो अपीलार्थीगण के पिता बृजलाल पुत्र रामपाल की खातेदारी मे दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक वर्तमान सेटलमेट मे नये नम्बर 163 रकवा 1.09 है0 कायम किये है। साविक की तुलना मे अपीलार्थी को 0.15 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। जिसे हाल ख0न0 74 रकवा 0.12 है0 व ख0न0 73 रकबा 0.13 है मे 0.03 है दर्ज करना पाया गया है। दौराने बहस वकील अपीलार्थीगण का कथन रहा कि खसरा न0 74 मे पूर्वजो के समय से ही सिचाई के लिए कुआ भी बना हुआ है। चूकि इन्द्राज दुरूस्ती का मामला अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है , दावे मे ही साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त यह तय होगा कि साबिक खसरा न0 69 रकवा 4 वीघा 19 विस्वा का 0.15 है0 रकबा खसरा न0 74 रकबा 0.12 है0 व खसरा न0 73 रकवा 0.13 है0 मे से 0.03 है0 मे गया है या नही। यह सभी बाते दावे मे तय होनी है। पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता नही बढे इसके मद्वेनजर दावे के निर्णय तक खसरा न0 74 रकबा 0.12 है0 व खसरा न0 73 रकबा 0.03 है0 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 74/17 निर्णय दिनांक 27.3.18 को अपास्त किया जाता है। आराजी खसरा न0 74 रकबा 0.12 है0 व खसरा न0 73 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम कुआ गांव तहसील बामनवास की ताफैसला दावा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर [illegible]स सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकान्त बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर